THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): No. Sir. Some members of the faculty have, however, submitted a memorandum to the Minister of Health and Family Welfare who is also the President of the Institute asking, *inter-alia*, for the redesignaton and better promotional avenues for the faculty members. The Academic Committee of the Institute has been requested to give their recommendations in this regard?

Setting up of National Institute of Maternal and Child Health at Nagpur

1527. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Maharashtra Government has sent a proposal to the Government of India on the 12th December, 1986 for setting up a National Institute of Maternal and Child Health at Nagpur;

(b) whether it is also a fact that an Expert Group visited Nagpur and the State Government promised that it would give all assistance needed for setting up this Institute at Nagpur;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The matter is under consideration.

आयुर्विज्ञान संस्थान

1528. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित उन आयुर्विज्ञान संस्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर एलोपैथिक पद्धति के साथ-साथ आयुर्वेदिक पद्धति से शिक्षा एवं इलाज की व्यवस्था की गयी है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय स्तर पर कोई आयुर्वेद संस्थान खोला गया है अथवा खोले जाने का विचार है ; और

(ग) आयुर्वेदिक पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन कौन-कौन सी योजनायें हैं और उनके कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित आयुर्विज्ञान की कोई संस्था एलोपैथिक पद्धति के साथ-साथ आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से शिक्षा और उपचार की व्यवस्था नहीं करती ।

(ख) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नामक एक संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य आयुर्वेद का विकास करना स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करना आदि है ।

(ग) सरकार स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है । नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, औषध मानकीकरण, साहित्यिक अनुसंधान, औषधीय पादपों के सर्वेक्षण आदि के लिए केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है । इस परिषद ने अनुसंधान निष्कर्षों तथा मलेरिया, मिरगी आदि के उपचार के लिए इसके द्वारा विकसित पेटेन्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं ।

शिक्षा के एक समान मानक तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कालेजों के बड़ी संख्या में खुलने तथा अर्हता-हीन व्यक्तियों के व्यवसाय पर नजर रखें । आठवीं योजना में हमारी कोशिश होगी कि आयर्वेदिक कालेजों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए ।

आयुर्वेद की औषधियों का मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा एक आयुर्वेद फार्माकोपिया समिति तथा भारतीय चिकित्सा की एक फार्माकोपिया प्रयोगशाला खोली गई है ।

भारत सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति के कालेजों में स्नातकोत्तर सुविधाएं उपलब्ध करने, प्रयोगशाला उपकरण तथा पुस्तकें उपलब्ध करने और राज्य फार्मेसियां, जड़ी-बूटी उद्यान तथा औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

केन्द्र सरकार और केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् ने संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, प्रकाशनों और प्रचार माध्यम से आयर्वेद के विभिन्न पहलुओं की सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए कदम उठाए हैं । औषधीय पादपों के विकास के बारे में विभिन्न राज्यों में नियमित आधार पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं ताकि औषधीय पादप जो कि भारतीय चिकित्सा के औषधों के स्रोत हैं, के महत्व और प्रयोग पर प्रकाश डाला जा सके ।

उपर्युक्त चल रहीं तथा नवीनता लाने वाली सभी योजनाओं का उद्देश्य आयुर्वेद पद्धति को लोकप्रिय बनाना है ।

Dental Council of India

1529. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Dental Council of India has reappointed recently its Secretary Shri D. N. Chauhan and if so, the reasons thereof; and

(b) whether prior approval of Government in this regard was taken, if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Yes. The Dental Council of India is an autonomous body created under an Act of Parliament—Dentists Act, 1948 and follows its rules and regulations and functions under that frame work. The Dental Council of India in its meeting held on 8.5.1988 unanimously agreed with the recommendations of the Executive Committee to the re-employment of Shri D. N. Chauhan as Secretary for a period of 2 years taking into account the efficient services rendered by him to the Council.

(b) Prior approval of the Government in the appointment/re-employment of the staff engaged by the Council is not necessary, as the powers vested with the Council in accordance with the provisions contained in section 8(1)(a) and 8(1) (b) of the Dentists Act, 1948.

News Item "King Air Deal signed after Deshmukh's Letter"

1530. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have seen a news item which was published recently in Sunday Mail of Delhi edition under heading 'King Air Deal signed after Deshmukh's letter'; and

(b) whether such an aircraft for National Remote Sensing Agency against the instructions of the Government was purchased and for what reasons?